

मद क्रमांक 1

सी.आर.एफ. अंतर्गत निर्माण कार्यों में राज्य शासन द्वारा व्यय योजनांतर्गत निम्नलिखित सड़क निर्माण कार्यों को अनुपूरक अनुदान में शामिल किया गया है:-

1. रायपुर रेल्वे स्टेशन-तेलीबांधा से केन्द्री के मध्य छोटी रेल लाइन के स्थान पर एक्सप्रेसवे तथा फ्लाईओवर निर्माण कार्य (अनुमानित लागत ₹13.40 करोड़) में राज्य शासन द्वारा व्यय हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृति किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

2. रायपुर रेल्वे स्टेशन-तेलीबांधा से केन्द्री के मध्य छोटी रेल लाइन के स्थान पर एक्सप्रेसवे तथा फ्लाईओवर निर्माण कार्य हेतु यूटिलिटी शिपिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यों हेतु (अनुमानित लागत ₹21.20 करोड़) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

3. पेंडारिया बजाग राज्य मार्ग का उन्नतिकरण कार्य लंबाई 37.00 कि.मी. की यूटिलिटी शिपिंग/भू-अर्जन हेतु अनुमानित लागत ₹288.69 करोड़ इस वर्ष ₹1 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

शहरी क्षेत्रों का निर्माण योजनांतर्गत निम्नलिखित सड़क निर्माण कार्यों को अनुपूरक अनुदान में शामिल किया गया है :-

1. जिला रायपुर के उरकुरा मुख्य मार्ग से शनिवेव मंदिर उरकुरा तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य लंबाई 2.60 किमी. हेतु (अनुमानित लागत ₹1.50 करोड़) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

2. जिला सरगुजा के कठनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क.43 के कि.मी. 383.550 से 385.00 तक के 4-लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य लंबाई 2.45 कि.मी. निर्माण कार्य हेतु (अनुमानित लागत ₹235 करोड़) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजनों हेतु कुल ₹200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

3. मुलमुला-पामगढ़-शिवरीनारायण मार्ग लंबाई 26.70 कि.मी. यूटिलिटी शिपिंग/भू-अर्जन हेतु अनुमानित लागत ₹379.90 करोड़ इस वर्ष ₹1 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।